


-:आन्तरिक अंकेक्षण संशोधन कार्यक्रम आदेश:-

कार्यालय के आदेश क्रमांक 1174-87 दिनांक 24.06.2019 व क्रमांक 1417 दिनांक 28.06.19 से जारी आन्तरिक अंकेक्षण कार्यक्रम में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:-

क्र० सं०	अंकेक्षण दल प्रभारी / सदस्य व जोन का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना था	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है	आन्तरिक अंकेक्षण अवधि	आदेशित कार्यक्रम	संशोधित कार्यक्रम
1	श्री उत्तम चन्द, AAO I मो० न० 9252240736 दल सदस्य रश्मि जोनवाल, क० लेखाकार कोटा-प्रथम दल	--	ब्लॉ. मु. चि अधिकारी, ईटावा, कोटा	04/14 से 03/19	02.07.19 से 11.07.19	02.07.19 से 12.07.19
		प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, कोटा	चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा	04/16से 03/19	12.07.19 से 23.07.19	15.07.19 से 23.07.19

अतः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न पत्रानुसार चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा की विस्तृत जांच वित्त विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6(10) वित्त/अंकेक्षण/2015 दिनांक 13.07.2017 के द्वारा जारी आदेशों में दिये गये निर्देशानुसार अंकेक्षण कार्य सम्पादित कर जांच रिपोर्ट निर्धारित समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवायेंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार



11/7/19
वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आ.जां.का./2019/

दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (जन स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
2. निदेशक (वित्त) एनएचएम राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-कोटा।
4. श्री उत्तम चन्द, AAO I, दल सदस्य रश्मि जोनवाल,, कनिष्ठ लेखाकार, जोन-कोटा को पालनार्थ प्ररतुत है।
5. ब्लॉ. मु. चि. अधिकारी, ईटावा, कोटा, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा को सूचनार्थ।
6. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।


11/7/19
वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर